शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयापारा (चांदागांव)

विकासखंड: फरसगांव, जिला: कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)

दिनाँक 02/09/2026

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदया,
भारत गणराज्य, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 110004

विषय:- 01 सितंबर 2025 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न संकट एवं देश के 25 लाख वरिष्ठ शिक्षकों के सेवा संरक्षण हेतु अध्यादेश / संसदीय संशोधन लाने के संबंध में विशेष निवेदन।

आदरणीय महोदया,
सादर प्रणाम।

मैं रामचंद्र सोनवंशी, शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयापारा, चांदागाँव, विकासखंड फरसगांव, जिला कोण्डागांव (छत्तीसगढ़) से, देश के समर्पित राष्ट्रनिर्माताओं (शिक्षकों) की अत्यंत गंभीर समस्या और उनके भविष्य पर आए संकट की ओर आपका बिंदुवार ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ:

1. पृष्ठभूमि एवं संकट का विवरण

- **RTE अधिनियम 2009:** यह अधिनियम 27 अगस्त 2009 को प्रकाशित हुआ था। इसके सेक्शन 23 (1) के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार 'एकेडमिक अथॉरिटी' (NCTE) को दिया गया था, जिसमें मूलत: TET (Teacher Eligibility Test) का कोई उल्लेख नहीं था।
- **NCTE की अधिसूचना (23 अगस्त 2010):** NCTE द्वारा जारी इस अधिसूचना के पैरा 4 में स्पष्ट किया गया था कि इस तिथि से पूर्व नियुक्त हो चुके शिक्षकों पर TET की अनिवार्यता लागू नहीं होगी और उन्हें स्पष्ट छूट दी जाएगी।
- **माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश:** सिविल अपील संख्या 1385/2025 (आदेश दिनांक 01 सितंबर 2025 एवं 29 मई 2026) के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को मिली TET छूट को अमान्य कर दिया है।
- **सेवा समाप्ति की तलवार:** न्यायालय के इस आदेश के परिणामस्वरूप देश भर के इन शिक्षकों के समक्ष 01 अगस्त 2028 तक TET उत्तीर्ण न करने पर सेवामुक्त किए जाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

2. मानवीय एवं विधिक पहलू

- **सेवा के मध्य नियम परिवर्तन की अनुचितता:** देश में किसी भी उच्च प्रशासनिक संवर्ग (जैसे IAS, IPS, PCS) या अन्य सेवाओं में 25-30 वर्षों की निष्कलंक सेवा के उपरांत सेवा में बने रहने के लिए बीच में कोई नई परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता नहीं होती।
- **समान व्यवस्था का पूर्व उदाहरण:** उच्च शिक्षा में NET या विभिन्न राज्यों में PET जैसे नियम लागू होने की तिथि से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को सदैव इन बाधाओं से मुक्त रखा गया है।
- **RTE संशोधन 2017 का संदर्भ:** वर्ष 2017 में RTE संशोधन के समय तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा संसद में दिए गए वक्तव्य एवं 03 अगस्त 2017 के शासकीय पत्र में केवल प्रोफेशनल ट्रेनिंग का उल्लेख था, TET की अनिवार्यता का नहीं।

Scanned with OKEN Scanner

- **शिक्षक दिवस की पावन पृष्ठभूमि एवं विडंबना:** प्रतिवर्ष 5 सितंबर को देश पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाकर राष्ट्र निर्माताओं का सम्मान एवं अभिनंदन करता है। परंतु यह अत्यंत विडंबनापूर्ण एवं पीड़ादायक है कि इसी शिक्षक दिवस की पूर्ववेला (01 सितंबर 2025) को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप देश के 25 लाख वरिष्ठ शिक्षकों के समक्ष आजीविका व सेवा सुरक्षा का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे संपूर्ण शिक्षक समाज मर्माहत है।
- **व्यापक सामाजिक प्रभाव:** इस निर्णय से देश भर के लगभग 25 लाख शिक्षकों एवं उनके करोड़ों परिजनों के समक्ष आजीविका और जीवन का संकट उत्पन्न हो गया है। 20-25 वर्षों की निष्ठावान सेवा दे रहे इन अनुभवी शिक्षकों के सिर पर मंडराता यह संकट अत्यंत झकझोर देने वाला है।

3. प्रमुख माँगें एवं सादर निवेदन

- **संसदीय संशोधन / अध्यादेश लाया जाए:** NCTE की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के पैरा 4 (पूर्व नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट) को संसद द्वारा अधिनियमित कराकर 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009' में स्थायी रूप से सम्मिलित किया जाए।
- **पूर्ण सेवा संरक्षण प्रदान हो:** 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को मानवीय आधार पर सेवा संरक्षण प्रदान करते हुए TET की अनिवार्यता से सर्वथा मुक्त रखा जाए।

महामहिम राष्ट्रपति जी, आप देश की संवैधानिक प्रमुख और हमारी अभिभावक हैं। देश के 25 लाख शिक्षकों के भविष्य, उनके परिवारों की रक्षा तथा न्याय और मानवीयता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार एवं संबंधित मंत्रालयों को आवश्यक संवैधानिक / विधायी कदम उठाने हेतु उचित मार्गदर्शन एवं निर्देश प्रदान करने की हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं।

भवदीय / आवेदक,
रामचंद्र सोनवंशी
02/09/2026
शिक्षकों एवं पीड़ित शिक्षकवृंद की ओर से
शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयापारा (चांदागांव),
विकासखंड: फरसगांव, जिला: कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)
संपर्क नं.: 9617935900

Scanned with OKEN Scanner